



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 694 राँची, शुक्रवार, 3 अग्रहायण, 1945 (श०)
24 नवम्बर, 2023 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2023

संख्या-एल०जी०-11/2021-81--लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-21/11/2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2022
(झारखण्ड अधिनियम संख्या-14, 2023)

झारखंड राज्य अंतर्गत कोर्ट फीस अधिनियम 1870 के प्रवर्तन को संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहतरवे वर्ष में झारखंड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो ।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ :-
 - क) यह अधिनियम कोर्ट फीस (झारखंड संशोधन) अधिनियम 2022 कहा जा सकेगा।
 - ख) इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।
 - ग) यह राज्य गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

खंड - "क"

2. कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की अनुसूची। एवं II का प्रतिस्थापन :-
कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की अनुसूची। एवं II को निम्नवत प्रतिस्थापित की जायेगी :-

अनुसूची।
मूल्यानुसार फीस

क्र०स०	विषय	विवरण	उचित मूल्य
1	धारा 3 में उल्लिखित के सिवाए किसी दीवानी या राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया गया वैसा वाद पत्र, किसी मुजरा या प्रतिदावा का अभिवचन अथवा अपील या प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्ध न हो	जब विवादग्रस्त विषयवस्तु का रकम या मूल्य (i) 30,000/- (तीस हजार) रुपये तक हो (ii) 30,000/- (तीस हजार) रुपये से अधिक किन्तु 50,000/- (पचास हजार रुपये से अधिक नहीं हो (iii) 50,000/- (पचास हजार) रुपये से अधिक किन्तु 20,00,000/- (बीस लाख) रुपये से अधिक नहीं हो (iv) 20,00,000/- (बीस लाख) रुपये से अधिक किन्तु 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो	(i) मूल्य का 15 प्रतिशत (ii) 4500/- रुपये (चार हजार पांच सौ) + 30,000/- (तीस हजार) रुपये से अधिक मूल्य का 10 प्रतिशत (iii) 6500/- रुपये (छह हजार पांच सौ) + 50,000/- (पचास हजार) रुपये से अधिक मूल्य का 3 प्रतिशत (iv) 65,500/- (पैंसठ हजार पांच सौ) रुपये + 20,00,000/- (बीस लाख) रुपये से

		(v) 1 करोड़ रुपये से अधिक हो	अधिक मूल्य का 0.5 प्रतिशत (v) 1,05,000/- (एक लाख पांच हजार) रुपये + 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का 0.3 प्रतिशत (अधिकतम 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये)
2	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, की धारा 6 के अधीन कब्जा के लिए किसी वाद में वाद पत्र		मद संख्या-1 के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार
3	विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र, विल उपाबद्ध करने के साथ या उसके बिना		मूल्य का 10 प्रतिशत न्यूनतम 500/- (पांच सौ) रुपये
4	उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र अधिनियम 1889 के अधीन प्रमाण पत्र		मद संख्या-3 के अनुसार प्रमाण-पत्र में वर्णित मूल्य के अनुसार

अनुसूची-II

नियत फीस

क्र०सं०	विषय	विवरण	उचित मूल्य
1	(i) आवेदन या अर्जी	जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय के प्रशासनिक अथवा राजस्व पदाधिकारी या उच्च न्यायालय से भिन्न दिवानी या फौजदारी न्यायालय में प्रस्तुत हो तथा जिसके सम्बन्ध में अन्यथा उपबंधित न हो	20/- (बीस) रुपये

	(ii) जब उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हो	संविधान के अनुच्छेद 226, 227 के अंतर्गत (क) सामान्य आवेदन दायर करने हेतु (ख) अन्य आवेदनों पर	500/- (पांच सौ) रुपये 250/- (दो सौ पचास) रुपये
	(iii) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-115 अंतर्गत सिविल संशोधन या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 सह पठित धारा 399/401 अंतर्गत अपराधिक पुनरीक्षण		250/- (दो सौ पचास) रुपये
2	दुसरे न्यायालय से अभिलेखों को मंगाने के लिए आवेदन		50/- (पचास) रुपये
3	अकिंचन के रूप में वाद चलाने या अकिंचन के रूप में अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन		20/- (बीस) रुपये
4	अधिभोग के अधिकार को स्थापित या साबित करने के लिए वाद पत्र या अपील का ज्ञापन		100/- (सौ) रुपये
5	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की किसी धारा के अधीन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया किसी आदेश के अनुपालन में दिया गया जमानत पत्र या अन्य बाह्य लिखित और जो इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं है।		20/- (बीस) रुपये

6	भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 (1869 का 4) की धारा 49 के अधीन वचनबद्ध		100/- (एक सौ) रुपये
7	शपथ पत्र	(i) उच्च न्यायालय से भिन्न अन्य सभी न्यायालय (ii) उच्च न्यायालय में	20/- (बीस) रुपये 30/- (तीस) रुपये
8	वकालतनामा	(i) उच्च न्यायालय से भिन्न अन्य सभी न्यायालय (ii) उच्च न्यायालय में	30/- (तीस) रुपये 50/- (पचास) रुपये
9	किसी निर्णय, डिक्री, आदेश कार्यवाही, या कार्यवाही के साथ संलग्न दस्तावेज की प्रति आदि		10/- (दस) रुपये प्रति पृष्ठ
10	केवियट		100/- (एक सौ) रुपये
11	निर्णय पर पुनर्विलोकन हेतु आवेदन		500/- (पांच सौ) रुपये
12	अपील का ज्ञापन जब अपील किसी डिक्री या किसी डिक्री का बल प्राप्त के विरुद्ध न हो, प्रस्तुत किया जाए	(i) उच्च न्यायालय से भिन्न अन्य किसी सिविल न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय से भिन्न किसी राजस्व न्यायालय या किसी कार्यपालक के पदाधिकारी अथवा मुख्य नियंत्रि राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी को (ii) उच्च न्यायालय या मुख्य नियंत्रि कार्यपालक या राजस्व प्राधिकार को	50/- (पचास) रुपये 100/- (एक सौ) रुपये
13	निम्नांकित वाद में वाद पत्र या अपील का ज्ञापन	(i) किसी सिविल न्यायालय का संक्षिप्त निर्णय या आदेश जो लेटर्स पेटेंट या किसी भी राजस्व न्यायालय द्वारा स्थापित न हो, को परिवर्तित	500/- (पांच सौ) रुपये

		या अपास्त करने के लिए (ii) राजस्व संपदाओं के स्वत्वधारियों के नामों के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को परिवर्तित करने या रद्द करने के लिए (iii) जहां कोई परिमानिक अनुतोष प्रार्थित नहीं हो, वहां घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के लिए (iv) किसी पंचाट को अपास्त करने के लिए (v) किसी दत्तक ग्रहण को अपास्त करने के लिए (vi) जहां विवादाग्रस्त विषयवस्तु का धन-मूल्य प्राक्कलित करना सम्भव नहीं हो और इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं हो, वहां प्रत्येक अन्य वाद के लिए	500/- (पांच सौ) रुपये 1000/- (एक हजार) रुपये 1000/- (एक हजार) रुपये 1000/- (एक हजार) रुपये 1000/- (एक हजार) रुपये
14	सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के अधीन न्यायालय की राय के लिए प्रश्न का उल्लेख करते हुए लिखित करार		200/- (दो सौ) रुपये
15	(i) भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 44 के अधीन अर्जियों को छोड़कर इसी अधिनियम के अधीन प्रत्येक अर्जी तथा इसी अधिनियम की धारा 55 के अधीन अपील का		500/- (पांच सौ) रुपये

	प्रत्येक ज्ञापन (ii) पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1865 के अधीन वाद पत्र या अपील का ज्ञापन		500/- (पांच सौ) रुपये
--	---	--	-----------------------

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2023

संख्या- एल0 जी0- 11/2021- 82--लेज0 झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक- 21/11/2023 को अनुमत कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2022 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

The Court Fees (Jharkhand Amendment) Act, 2022 (Jharkhand Act, 14, 2023)

An Act to Amend the Court Fees Act, 1870 in its application to the State of Jharkhand.

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand the Seventy third Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement:-
 - i) This Act, may be called "The Court Fees (Jharkhand Amendment), Act, 2022
 - ii) It extends to the whole of the State of Jharkhand.
 - iii) It shall come into force from the date as notified in the State Gazette.

PART-A

2. Substitution of Schedule I and II appended to the Court Fees Act, 1870- The schedule I and II appended to the Court Fees Act 1870 shall be substituted by the following schedule:-

Schedule-I
Advalorem Fees

Table of rate of Advalorem Fees Leviable on Institution of suits

No.	Subject	Description	Rates
1	Plaint, written statement pleading a set-off or counter claim or memorandum of appeal or of cross objection not otherwise provided for in this Act presented to any Civil or Revenue Court except those mentioned in Section-3.	When the amount or value of the subject matter in dispute-	
		(i) up to Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand)	15% of the amount or value
		(ii) exceed Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand) but does not exceed Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand)	Rs. 4,500/- (Rupees four thousand five hundred) + 10% of amount or value exceeding Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand).
		(ii) exceed Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand) but does not exceed Rs. 20,00,000/- (Rupees Twenty lakhs)	Rs. 6,500/- (Rupees Six thousand five hundred) + 3% of amount or value exceeding Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand).
		(iv) exceeds Rs. 20,00,000/- (Rupees twenty lac) but doesn't exceed Rs. 1 (one) crore.	Rs. 65,500 (Rupees sixty five thousand five hundred) + 0.5% of the amount or value exceeding Rs. 20,00,000/- (Rupees twenty lac).
		(v) exceeds Rs. 1 (one) crore	Rs.1,05,000/- (Rupees one lac five thousand) + 0.3% of the amount or value exceeding Rs. 1 (one) crore. (maximum of Rs.3,00,000/- (three lac only))
2	Plaint in a suit for possession under Section 6 of Specific Relief Act, 1963.		According to rates as prescribed in item no.1.
3	Probate of a will or letters of administration with or without will annexed.		10% of the amount or value [minimum Rs. 500/- (Rupees five hundred)]
4	Certificate under the Succession Certificate Act, 1889.		As prescribed in item no. 3 on amount or value indicated on certificate.

Schedule-II

Fixed Fees

No.	Subject	Description	Fee
1	(i) Application or petition	When presented to an administrative or revenue officer of State Government or Central Government or local body or in a civil or criminal or small cause court other than High Court and which is not otherwise provided-	Rs. 20/- (Rupees twenty)
	(ii) When presented to the High Court-	(i) Under Article 226, 227 or under Article 226 and 227 of the Constitution-	
		(a) To file a general application.	Rs. 500/- (Rupees five hundred).
		(ii) On other applications	Rs. 250/- (Rupees two hundred fifty).
	(iii) Application for Civil Revision under Section 115 of Civil Procedure Code or Criminal Revision under Section 397 read with Section 399/401 of Criminal Procedure Code.		Rs. 250/- (Rupees two hundred fifty).
2	Application to call for records from any other Court.		Rs. 50/- (Rupees fifty).
3	Application for leave to sue as a pauper or for leave to appeal as pauper.		Rs. 20/- (Rupees twenty).
4	Plaint or memorandum of appeal to establish or prove a right of occupancy.		Rs. 100/- (Rupees one hundred).
5	Bail Bond or other instruments of obligation given in pursuance of any order made by a Court or Magistrate under any section of the Code of Criminal Procedure, 1973 or the Code of Civil Procedure, 1908 and not otherwise provided by this Act.		Rs. 20/- (Rupees twenty).
6	Undertaking under Section 49 of the Indian Divorce Act, 1869 (4 of 1869).		Rs. 100/- (Rupees one hundred).
7	Affidavit	(i) In all other courts except the High Court.	Rs. 20/- (Rupees twenty Rupees).
		(ii) In the High Court.	Rs. 30/- (Rupees thirty).
8	Vakalatnama	(i) In all other courts except the High Court.	Rs. 30/- (Rupees thirty)
		(ii) In the High Court.	Rs. 50/- (Rupees Fifty)
9	All kinds of copies of any judgement, decree, order, proceeding, the documents filed in a proceeding etc.		Rs. 10/- (Rupees ten) per page.
10	Caveat		Rs. 100/- (Rupees one hundred)
11	Application for review of judgement.		Rs. 500/- (Rupees five hundred) only.

12	Memorandum of Appeal when the appeal is not from a decree or an order having the force of a decree and is presented.	(i) To any Civil Court other than a High Court, or to any Revenue Court, or Executive Officer, other than the High Court or Chief Controlling Revenue or Executive Authority.	Rs. 50/- (Rupees fifty).
		(ii) To High Court or Chief Controlling Executive or Revenue Authority.	Rs. 100/- (Rupees one hundred).
13	Plaint or Memorandum of Appeal in each of the following suits:-	(i) To alter or set aside a summary decision or order of any of the Civil Courts (not established by Letters Patent or not a Revenue Court)	Rs. 500/- (Rupees five hundred).
		(ii) To alter or cancel any entry in a register of the names of proprietors of revenue paying estates.	Rs. 500/- (Rupees five hundred).
		(iii) To obtain a declaratory decree where no consequential relief is prayed.	Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
		(iv) To set aside an award.	Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
		(v) To set aside an adoption.	Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
		(vi) For every other suit where it is not possible to estimate at a money value the subject matter in dispute and which is not otherwise provided for by this Act.	Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
14	Agreement in writing stating a question for the opinion of the Court under the Code of Civil Procedure, 1908.		Rs. 200/- (Rupees two hundred).
15	(i) Every petition under the Indian Divorce Act, 1869 except under Section 44 of the same Act and every Memorandum of Appeal under Section 55 of the same Act.		Rs. 500/- (Rupees five hundred).
	(ii) Plaint or Memorandum of Appeal under the Parsi Marriage and Divorce Act, 1865.		Rs. 500/- (Rupees five hundred).

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
